भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5444

उत्तर देने की तारीख 05 अप्रैल, 2022

15 चैत्र, 1944 (शक)

खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया जाना

5444. श्री सी.आर.पाटिल:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कदमों को और मजबूत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने खिलाड़ियों को वैश्विक मानकों की गुणवत्तापूर्ण कोचिंग प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात राज्य में खेल के बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख): 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण, जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को बढ़ावा देने का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों का होता है । केंद्र सरकार उनके प्रयासों की पूर्ति करती है । तथापि, यह मंत्रालय 'खेलो इंडिया-राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम' स्कीम (खेलो इंडिया स्कीम) नामक एक केंद्रीय सेक्टर स्कीम चलाता है । खेलो इंडिया स्कीम के 'प्रतिभा पहचान और विकास' घटक के तहत जमीनी स्तर पर निम्नलिखित दो श्रेणियों में प्रतिभा पहचान की जाती है:-

- संभावित खेल प्रतिभा की पहचान
- सिद्ध प्रतिभा पहचान

प्रतिभा की पहचान करने के लिए देश को **05** क्षेत्रों अर्थात उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर-पूर्व क्षेत्र में विभाजित किया गया है । संभावित क्षमतावान और सिद्ध एथलीटों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए देश के हर कोने तक पहुंच बनाने के लिए ग्रासरूट जोनल प्रतिभा पहचान समिति का गठन किया गया है ।

इसके अलावा, राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एनएसटीसी) स्कीम के तहत 8-14 वर्ष के आयु वर्ग में प्रतिभावान बच्चों का चयन किया जाता है और उन्हें भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) केंद्रों में एक सुसंरचित प्रणाली के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाता है । विभिन्न परीक्षणों में प्रशिक्षुओं के प्रदर्शन और भर्ती के समय उनकी उपलब्धियों को सुस्पष्टतया प्रलेखित किया जाता है । देशज खेलों में प्रतिभा की पहचान प्रतिभागियों के बीच खुली प्रतियोगिता के आधार पर की जाती है । साई, राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) के प्रतिनिधियों, साई कोचों, संबंधित खेल के गुरु/ मार्गदर्शक आदि से युक्त एक चयन समिति द्वारा चयन किया जाता है । इस आधार पर चयनित खिलाड़ियों को आयु सत्यापन, चिकित्सा परीक्षा आदि के बाद प्रवेश दिया जाता है ।

(ग) और (घ): खिलाड़ियों को वैश्विक मानकों की गुणवत्तापूर्ण कोचिंग प्रदान करने के लिए, साई उत्कृष्ट और पदक विजेता खिलाड़ियों को कोच के रूप में भर्ती करता है । इसके अलावा, जमीनी स्तर पर देश में खेल इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार के विजन के तहत एक किफायती, प्रभावी खेल प्रशिक्षण तंत्र विकसित किया गया है, जिसमें पूर्व "चैंपियन एथलीटों" को खेलो इंडिया केंद्रों में प्रशिक्षुओं के लिए कोच और मेंटर के रूप में नियुक्ति का प्रावधान है जिससे उनके लिए आय का एक नियमित स्रोत भी सुनिश्चित किया जा सकेगा ।

(ङ) खेलो इंडिया स्कीम के 'खेल अवसंरचना का उपयोग और निर्माण/ उन्नयन' घटक के तहत, इस मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात राज्य के वलवाव, जिला वड़ोदरा में 5 करोड़ रु. की लागत से ''स्वर्णिम गुजरात खेल विश्वविद्यालय में स्विमिंग पूल का निर्माण'' और जिला अहमदाबाद में 583.99 करोड़ रु. की लागत से ''नारणपुरा में खेल परिसर का निर्माण'' नामक दो परियोजनाओं को संस्वीकृत किया है ।

****